

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना श्रीनगर एवं थाना अजनर

के विभिन्न सवेदनशील मतदान केन्द्र/मतदेय स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया।

क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरूक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार सहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 08.04.2024 को थाना श्रीनगर एवं थाना अजनर की पुलिस टीम द्वारा केन्द्रीय पुलिस बल/असम पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न सवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्लरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रूप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।


इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध में मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम में 30नि0 मनोज कुमार तिवारी द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान एक नफर वारण्टी अभियुक्त हलकुट्टा उर्फ हलकुण्डा उर्फ पर्वत सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम भटेवर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को सम्बन्धित विशेष वाद संख्या 400016/2013, मु.अ.सं. 1864/2013 धारा 3(1) गैंगे0 एक्ट में सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 16 द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम भटेवर महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

हलकुट्टा उर्फ हलकुण्डा उर्फ पर्वत सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह
उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम भटेवर थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.30नि0 मनोज कुमार तिवारी थाना कोतवाली नगर महोबा
- 2.प्रशिक्षु म030नि0 दीक्षा
- 3.का0 प्रवीण कश्यप



थाना खरेला की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने वाले

02 वांछित अभियुक्तों को मय अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा थाना स्तर पर गठित टीम के उ०नि० अवनीश कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 38/24 धारा 307/323/504/506 भा०द०वि० व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5क एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1.सचिन राजपूत उर्फ सच्चू पुत्र स्व० हरिश्चन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष 2. नरेन्द्र राजपूत उर्फ नन्दू बाबा उर्फ नन्द कुमार पुत्र स्व० अशोक कुमार उम्र 27 वर्ष को पांच पाटन हनुमान मन्दिर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सचिन राजपूत उर्फ सच्चू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ तथा अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ नन्दू बाबा उर्फ नन्द कुमार उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः मु०अ०सं० 39/2024 व मु०अ०सं० 40/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- 1.उ०नि० अवनीश कुमार यादव 2.उ०नि० अरविन्द कुमार उपाध्याय 3.कां० सचिन यादव 4.कां० मिथलेश कुमार त्रिपाठी 5.कां० जितेन्द्र सिंह गौतम

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.सचिन राजपूत उर्फ सच्चू पुत्र स्व० हरिश्चन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बल्लायं थाना खरेला जनपद महोबा
2. नरेन्द्र राजपूत उर्फ नन्दू बाबा उर्फ नन्द कुमार पुत्र स्व० अशोक कुमार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम जरौली थाना खरेला जनपद महोबा



“यातायात नियमों का पालन करने की दी प्रेरणा”

आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत प्रभारी यातायात द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई, सुरक्षा के दृष्टिगत कई वाहनों से उतरवाई काली फिल्म।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर पूर्णतः रोकथाम लगाये जाने हेतु संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन के क्रम में यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु आज दिनांक 08.04.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद महोबा के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में जनपदीय यातायात पुलिस टीम के साथ वाहन चालकों को यातायात नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया। यातायात पुलिस टीम ने आमजनमानस में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने, सड़क सुरक्षा को अपनाने के लिए बिना हेलमेट वाहन चला रहे - वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। यातायात पुलिस टीम ने सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के रोकथाम करने के लिए दो पहिया वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नंबर प्लेट लगे वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के बारे में बताया। साथ ही अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय नियम पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत कई वाहनों से उतरवाई काली फिल्म।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी फायर सर्विस द्वारा आमजन मानस को लू से बचाव के उपाय एवं फायर सीजन के दृष्टिगत आग से बचाव हेतु जागरूक किया गया

श्रीमान महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 08.04.2024 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी द्वारा हीट प्लान के तहत एवं स्कीम 17 के तहत विभिन्न संस्थानों में जाकर वहाँ मौजूद लोगों को पम्पलेट के माध्यम से हीट प्लान के तहत लू से बचाव के उपाय एवं फायर सीजन के दृष्टिगत आग से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा द्वारा पढ़ाई को लेकर मामा की डांट से नाराज होकर गये किशोर को सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा पुलिस द्वारा पढ़ाई के लिये मामा की डांट से नाराज होकर गये किशोर को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द । गौरतलब हो कि दिनांक 22.03.24 को सुभाषनगर थाना कोतवाली नगर जिला महोबा मूल निवासी ग्राम टिकैयापुरवा पोस्ट अनौगी थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के रहने वाले डा0 अनुज प्रताप सिंह पुत्र श्रीजुगीलाल उम्र करीब 28 वर्ष निवासी की तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 148/24 धारा 363 भा.द.वि. का अभियोग पंजीकृत किया गया कि उनका भांजा प्रबल प्रताप पुत्र संजय उम्र करीब 12 वर्ष निवासी ग्राम जरौली जनपद इटावा हालपता सुभाषनगर थाना कोतवाली नगर महोबा जो अपने मामा की डांट से नाराज होकर कहीं चला गया काफी खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चल पा रहा है । उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये थाना स्तर पर टीमें गठित कर तत्परता से बस स्टैण्ड, कोचिंग सेटन्टर, रेलवे स्टेशन, ढाबा, मुहल्लों, सोशल मीडिया ग्रुप , गांव व आस पास के लोगों से पूछताछ करते हुए किशोर को ग्राम घुटवई से सकुशल बरामद कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए परिजनों(मामा) को सुपुर्द किया गया । पुलिस द्वारा किशोर को समझाया गया कि भविष्य में इस तरह परिजनों से नाराज होकर घर छोड़ने का विचार मन में ना लाये । किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें, पुलिस हर सम्भव मदद करेगी । परिजनों द्वारा पुलिस के सहयोग की प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को धन्यवाद किया ।

गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्यवेंद्र सिंह भदौरिया
2. उ0नि0 यू0टी0 संदीप विमल
3. का0 दीपेश कुमार



